फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर (ग्रामीण)।

संख्या :– 159 / 2023

पवन कुमार बनाम सरकार

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
08.05.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित, अप्रार्थी सरकार का जवाब पेश हो चुका है। बहस वकील प्रार्थी की सुनी गई। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम बाबत् सीमाचिन्ह कायम किए जाने हेतु स्वीकार किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाया जाकर इस आदेश का अभिन्न भाग रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी चाकसू(जयपुर)	

प्रार्थना पत्र संख्या 159/2023 निर्णय दिनांक 08/5/2024

उनवान

1. पवन कुमार जैन पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद जैन
2. सुनील कुमार जैन पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद जैन जाति जैन निवासी वैशालीनगर जयपुर राज0।
3. राजेन्द्र सिंह राजावत पुत्र गुमान सिंह जाति राजपूत निवासी हनुमान नगर हाजियावाला तहसील सांगानेर जयपुर राज0।
4. रामेश्वर पुत्र छीतर जाति ब्राहम्ण निवासी श्यामपुरा तहसील कोटखावदा जिला जयपुर।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कोटखावदा जिला जयपुर।

—— अप्रार्थी

प्रार्थना—पत्र सीमाज्ञान व पत्थरगढी मय पुलिस इमदाद से करवाने बाबत्।

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण ने अन्तर्गत धारा 128 भू—राजस्व अधिनियम पेश कर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के खसरा नंबर 207, 208, 209 कुल किता 3 कुल रकबा 2.63 है0 वाके ग्राम श्यामपुरा पटवार हल्का देहलाला तहसील कोटखावदा जो प्रार्थीगणों के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित है पर सीमा का विवाद होना बताया है।

प्रार्थीगणों ने कथन किया है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी पर सीमाकंन कार्यवाही दिनांक 17.06.2023 के अनुसार सीमा चिन्ह कायम करवाने का आदेश चाहा गया है।

अप्रार्थी ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमी प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड होना स्वीकार किया है।

प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तहसील कोटखावदा को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि की सीमाओं के सबंध में विवाद का निपटारा भू—राजस्व अधिनियम की धारा —111 के प्रावधानों के अनुसार करने हेतु जहॉं प्रार्थीगणों की भूमी अवस्थित है उस भू0अ0नि वृत के भू0अ0नि के नेतृत्व में उसके अधीन तीन पटवारियों की टीम गठित की जावें। तहसीलदार द्वारा धारा—111 के प्रावधानों के अनुरूप

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

सीमाकंन के सबंध में प्रार्थीगणों की भूमी के चारों दिशाओं में स्थित भूमी के काश्तकारों को इस आशय की सूचना प्रार्थीगणों के डाक खर्च पर रजि0 डाक द्वारा सीमाकंन हेतु नियत दिनांक से कम से कम सात दिवस पूर्व दी जावें।

भू–राजस्व अधिनियम की धारा–111 के प्रावधानों के तहत् सीमाकंन के उपरान्त तहसीलदार के लिखित आदेश से प्रार्थीगण चिन्हित की गई सीमा पर बतौर निशानात सीमाचिन्ह अपने खर्चे पर कायम कर सकेगे।

यह आदेश केवल सीमाचिन्ह बतौर निशानात कायम करने तक सीमित है। इस आदेश की पालना में प्रार्थीगण किसी अन्य पडौसी के कब्जे की भूमि पर जबरन कब्जा करने के अधिकारी नही होगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(शिवचरण शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
(एस0डी0एम0) चाकसू
जिला जयपुर